By Spead Post-RTE matter

## No.5/49/2014-FF(P) Government of India / Bharat Sarkar Ministry of Home Affairs / Grih Mantralaya FFR Division FF(Policy) section

2<sup>nd</sup> Floor, NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi-110 001 Dated, the 20<sup>th</sup> May, 2014

To

Shri Pawan Parik, Advocate, (RTI Activist), District Court, Sirsa(Haryana).

Subject:-Supply of information under the RTI Act, 2005 - regarding.

Sir.

I am directed to refer to your RTI application dated 18.03.2014 received in this division on 05.05.2014 vide DS(E) & CPIO RTI section's O.M. of even no.dated 21.04.2014 on the above noted subject and to say that FFR division of this Ministry grants Swatantrata Sainik Samman Pension to those freedom fighters and their eligible dependents who fulfill the eligibility criteria and evidentiary requirements laid down in the Swatantrata Sainik Samman Pension Scheme, 1980 and apply for the same. With reference to point-3, Dr.Sisir Bose and Shri Aurobindo Bose, Nephews of Netaji Subhas Chandra Bose; mother of Chandrasekhar Azad, and sister of Ram Prasad Bismil have been offered/granted central samman pension on suo moto basis. Information sought by you at sl.nos 1, 2 & 4 to 7 is not available with this division.

- 2. However information pertaining to your application may be available with Ministry of Culture, NAI, ICHR for which a copy of your RTI application is passed on to them.
- 3. The Appellate Authority is Shri K K Pathak, Joint Secretary (FFR), Ministry of Home Affairs, 2<sup>nd</sup> Floor, Room No.218, NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi-110001.

Yours faithfully

(R.C. Nayak)
Director(FF) & CPIO

p....2/-

Copy to :-

Shri Ashok Acharya, CPIO & Under Secretary, Ministry of Culture, CDN Section, Sastri Bhawan, New Delhi.

The CPIO (A & A) for NAI), Janpath, New Delhi.

Dr.Rajesh Kumar, Assistant Director(Research)/CPIO, Indian Council of Historical Research, Ministry of Human Resource Development, 35, Ferozeshah Road, New Delhi-110 001.

Alongwith a copy of RTI application dated (Two popes)
18.03.2014 in respect of Shri Pawan dated Parik, Sirsa (Haryana) for sending the requisite information to the applicant on point 1,2,&4 to 7. In case the information does not fall within the purview of your ministry, RTI application applicant's transferred the please be Authority/CPIO concerned Public

under intimation to the

-do-

directly.

applicant.

-do-

(R.C Nayak) Director(FF) & CPIO

Copy for information to:

Shri Anurag Kumar, SO(IT), MHA – Alongwith RTI application dated 18.3.2014 for uploading in MHA Website.

P(V)

Sol. no. 1 (R

## RTI MATTER/TIME BOUND

No.A-43020/ 01 /2014-RTI Government of India/Bharat Sarkar Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya

New Delhi, Dated: 21.04.2014.

## OFFICE MEMORANDUM

Subject: Trnsfer of application of Shri Pawan Parik the Right to Information Act, 2005.

This Ministry has received an application dated 18.03.2014 under the RTI Act, 2005 received from Shri Pawan Parik (received in this Ministry on 07.04.2014 through PMO vide their letter dated 01.04.2014).

2. Since the requested information does not fall totally within the jurisdiction of MHA, the application is therefore, being transferred to Delhi Police and DY.Secretarty (Legal) and Director (FF-N), MHA under subsection(3) of Section 6 of RTI Act, 2005 for taking necessary action. It is requested that if the subject matter pertains to any other CPIOs/Public Authority, the application may be further transferred to that Authority directly, under intimation to the applicant.

Encl: As above.

To

Commissioner of Polce, Delhi Police, Delhi Police Headquarter, I.P. Estate, New Delhi

Copy forwarded for similar action to :

√Dy. Secretary (Legal) M/o Home Affairs, NDCC-II, Jai Singh Road, New Delhi.

Director (FF-N)
M/o Home Affairs,
NDCC-II, Jai Singh Road,
New Delhi.

Copy for information to:

Shri Pawan Parik, District Court, Sirsa (Haryana)

( V.K. Rajan ) Dy. Secretary (E) & CPIO

Show osner

C. 260950/HS/14

## प्रधान मंत्री कार्यालय

<u> प्रधान मत्रा कायाल</u> <u>।ऽ।।।५</u>

साउथ ब्लाक, नई दिल्ली - 110 011

संख्या आरटीआई/1901/2014-पीएमआर

कार्यालय ज्ञापन

विषय - सूचना का अधिकार के तहत आवेदन-पत्र

दिनांकः ० / ७५ / २०१४

सूचना का अधिकार

5.3-4/600

उपर्युक्त विषय पर श्री पवन पारीक से प्राप्त दिनांक 18.3.2014 का आवेदन-पत्र, जो इस कार्यालय में दिनांक 28.3.2014 को प्राप्त हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत यथोचित कार्रवाई हेतु अंतरित किया जा रहा है।

2. आवेदकं से आवेदन-शुल्क प्राप्त हो गई है।

46 = 24 Mylin Js (18)

10 muly 14

(संबद इकराम रिज़वी) उप सचिव एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी ि: 2307 4072

मृह सचिव, गृह मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

प्रति- (रजिस्टर्ड पोस्ट ए.डी. द्वारा)

श्री पवन पारीक जिला न्यायालय, सिरसा हरियाणा विंदु संख्या । से 6 के संबंध में

कृपया आप इस संबंध में आगे सूचना हेतु उपरोक्त लोक प्राधिकरण से सम्पर्क करें। इस कार्यालय से संबंधित सूचना कालान्तर में दे दी जाएगी।

Deres Xent Constitution of the constitution of

16582 28/03/14 2.8 MAR 2014 DAK SECTION 文句0+中百百

सेवा में,

उप सचिव एवं केन्द्रीय लोकसूचना अधिकारी, प्रधान मंत्री कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।

विषय:— सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन पत्र ।
—————
महोदय,

- 1— कृपया जानकारी दी जावे कि सन् 1857 से 15 अगस्त, 1947 तक भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान अपने प्राणों की आहूति देने वाले कुल कितने लोगों को भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर शहीद का दर्जा दिया गया है ? जिन लोगों को भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से शहीद का दर्जा दिया गया है, से संबंधित नामावली की सत्यापित सूची उपलब्ध करवाई जावे ।
- 2— कृप्या जानकारी दी जावे कि क्या भारत सरकार मोहनदास कर्मचंद गांधी या महात्मा गांधी को राष्ट्रीय शहीद का दर्जा देती है -? यदि हां, तो गांधीजी को भारत सरकार द्वारा शहीद का दर्जा किस तिथि को व किन कारणों से दिया गया ?

MHA Dir(T)

- 3— कृप्या जानकारी दी जावे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चन्द्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, अश्फाकुल्लाह खान, रामप्रसाद बिस्मिल आदि देशभक्तों द्वारा आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के बाद भारत सरकार द्वारा उक्त शहीदों के परिजनों के पुनर्वास व कल्याण के लिए क्या—2 व्यवस्था की गई ? इन शहीदों के कितने परिजनों को भारत सरकार द्वारा अपने स्तर पर सरकारी नौकरी व अन्य सुविधाएं प्रदान की गई ? यदि भारत सरकार द्वारा इन शहीदों के परिजनों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई तो इसके क्या कारण रहे ?
- 4— कृप्या जानकारी दी जावे कि क्या भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान बेनामी शहीदों का पता लगाने की दिशा भारत सरकार द्वारा अपने स्तर पर कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो ऐसी कार्यवाही का क्या नतीजा रहा ? अब तक कुल कितने बेनामी शहीदों की पहचान हो चुकी है ? जिन बेनामी शहीदों की पहचान भारत सरकार द्वारा की गई, से संबंधित नामावली की सत्यापित प्रतिलिपि दी जावे और यदि भारत सरकार द्वारा बेनामी या गुमनाम शहीदों का पता लगाने या उनकी पहचान करने की दिशा में आज तक कोई कदम नहीं उठाया तो इस कौताही के क्या कारण रहे ?

4429 X F10 -

5— कृप्या जानकारी दी जावे कि क्या भारत सरकार आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघं या आरएसएस को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हत्यारा मानती है ? यदि हां, तो सरकार की ऐसी धारणा का दस्तावेजी आधार क्या रहा है ? यदि भारत सरकार के पास ऐसी धारणा का कोई औपचारिक दस्तावेजी आधार नहीं है तो राष्ट्र सेवा में संलग्न इस

393262

- en

संगठन पर प्रधानमंत्री से लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, यूपीए चेयरपर्सन सोनियां गांधी व अन्य केन्द्रीय नेताओं द्वारा समय—2 पर ऐसे आरोप किस आधार पर लगाए जाते हैं ? क्या भारत सरकार अधिकारिक रूप से ऐसे आरोपों के सही होने की पुष्टि करती है ?

6— कृप्या जानकारी दी जावे कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के रहस्यमयी ढ़ंग से लापता हो जाने से पहले क्या भारत पर काबिज ब्रिटिश सरकार द्वारा नेताजी को सरकारी अपराधी मानकर भगौड़ा घोषित किया गया था ? इस संबंध में सन् 1947 को ब्रिटिश हूकुमत द्वारा भारत सरकार को आजादी के रूप में किए गए सत्ता हस्तांतरण के दौरान क्या भारत सरकार द्वारा नेताजी के बरामद हो जाने पर उन्हें ब्रिटिश सरकार को सुपुर्द करने संबंधी लिखित करार किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त करार वर्तमान में भी प्रभावी है या निरस्त किया जा चुका है ?

7— कृप्या जानकारी दी जावे कि हाकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को मरणोंपरांत भारत रत्न देकर सम्मानित करने के प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा किन कारणों से खारिज किया गया ? उक्त मामले में मेजर ध्यान चंद को भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए प्रधानमंत्री महोदय द्वारा राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित की गई अनुशंसा दस्तावेजों, नाम चयन कार्रवाई से संबंधित नोटिंग दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई जावे ?

अतः निवेदन है कि वांछित जानकारी बिन्दुवार ढंग से आवेदक को नियत समय सीमा में उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करें । सूचना शुल्क स्वरूप रू० 10/— मात्र का आईपीओ सं0 निर्धाप्त संलग्न किया जाता है । अति कृपा होगी ।

दिनांक:-<u>18/3/14</u> संलग्न:-यथोपरि ।

पवन पारीक, एडवोकेट, ( आरटीआई एक्टिविस्ट ), जिला न्यायालय, सिरसा(हरि0)